



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227980
CG-DL-E-29062021-227980

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2426]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2021/ आषाढ़ 8, 1943

No. 2426]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2021/ASHADHA 8, 1943

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2021

का.आ. 2617(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के संबंध में कुछ संशोधन करना चाहती है, उनको दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के परंतुकों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.01.2021 के सार्वजनिक नोटिस संख्या: एस.ओ.444 (ई) के रूप में भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस (45) दिनों के अंदर, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं किए गए हैं।

3. जबकि, केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

4. इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की तहत उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग का उपयोग करते हुए, इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है: -

संशोधन

दिल्ली मास्टर प्लान- 2021 में प्रावधान									
तालिका 3.3 : शहरी विकास का पदानुक्रम ; दिल्ली शहरी क्षेत्र-2021 का अध्याय 3.0									
मौजूदा प्रावधान					प्रस्तावित संशोधन/आशोधन				
स्तर	सुविधाएं	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में			स्तर	सुविधाएं	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में		
		संख्या	प्रति इकाई	कुल			संख्या	प्रति इकाई	कुल
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2.समीप की आबादी 10,000	1.प्राथमिक विद्यालय	1	2,000-4,000	2,000-4,000	2.समीप की आबादी 10,000	1. प्राथमिक विद्यालय	1	2,000-4,000	2,000-4,000
	13. सीवरेज पंपिंग स्टेशन	1	500	500		13. सीवरेज पंपिंग स्टेशन	1	500	500
	14. कोचिंग सेंटर, आईटी एवं भाषा प्रशिक्षण केन्द्र	1	500	500		14. कोचिंग सेंटर, आईटी एवं भाषा प्रशिक्षण केन्द्र	1	500	500
	15. अलगाव समेत ढलाव	1	200	200		15. अलगाव समेत ढलाव	1	200	200
	16. डिस्पेंसरी	1	800-1,200	800-1,200		16. डिस्पेंसरी	1	800-1,200	800-1,200
	17.स्थानीय स्तर अपशिष्ट शोधन इकाई		आवश्यकतानुसार			17.स्थानीय स्तर अपशिष्ट शोधन इकाई		आवश्यकतानुसार	
			आवश्यकतानुसार			18. सीवरेज शोधन संयंत्र (22.7 एमएलडी तक) # (सीवरेज पंपिंग स्टेशन हेतु 50 वर्गमीटर/एमएलडी और अपशिष्ट पंपिंग स्टेशन हेतु 50 वर्गमीटर/एमएलडी सहित)	आवश्यकतानुसार	650 वर्गमीटर/एमएलडी	
स्तर	सुविधाएं	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में			स्तर	सुविधाएं	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में		
		संख्या	प्रति इकाई	कुल			संख्या	प्रति इकाई	कुल
1	2	3	1	2	1	2	3	1	2
5. क्षेत्रीय/ सब-सिटी आबादी 10,00,000	1. मेडिकल कॉलेज	1	भारतीय चिकित्सा परिषद्/नियामक निकाय के अनुसार		5. क्षेत्रीय/ सब-सिटी आबादी 10,00,000	1. मेडिकल कॉलेज	1	भारतीय चिकित्सा परिषद्/नियामक निकाय के अनुसार	
	8.सीवरेज पंपिंग स्टेशन	1	2500	2,500		8. सीवरेज पंपिंग स्टेशन	1	2,500	2,500
	9. निगम जल एवं	1	500	500					

सीवरेज कार्यालय	10. सीवरेज शोधन संयंत्र (180 एमएलडी)	1	234000	234000	9. निगम जल एवं सीवरेज कार्यालय	1	500	500
					10. सीवरेज शोधन संयंत्र (180 एमएलडी)	1	234000	234000
					18. सीवरेज शोधन संयंत्र (22.7 एमएलडी तक)	आवश्यकतानुसार	1100 वर्गमीटर/एमएलडी	
					# (सीवरेज पंपिंग स्टेशन हेतु 50 वर्गमीटर/एमएलडी और अपशिष्ट पंपिंग स्टेशन हेतु 50 वर्गमीटर/एमएलडी सहित)			
					नोट: # क्षेत्र मानक नवीन प्रस्तावित सुविधाओं के लिए हैं।			

[फा. सं.: के-12011/6/2021-डीडी-1]

उपेंद्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2021

S.O. 2617(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 444 (E) dt. 29.01.2021 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five days from the date of the said notice.

- Whereas, no objections / suggestions has been received with regard to the proposed modification.
- Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

Provision in MPD - 2021									
Table 3.3 : Hierarchy of Urban Development; of Chapter 3.0 Delhi Urban Area - 2021									
Existing Provisions					Proposed Amendments/Modifications				
Level	Facilities	Area in sq.m.			Level	Facilities	Area in sq.m.		
		No.	Per Unit	Total			No.	Per Unit	Total
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2. Neighbor-hood Population-10,000	1. Primary School	1	2,000-4,000	2,000-4,000	1. Neighbor-hood Population-10,000	1. Primary School	1	2,000-4,000	2,000-4,000
	13. Sewage Pumping Station	1	500	500		13. Sewage Pumping Station	1	500	500
	14. Coaching centres, IT & language training centres	1	500	500		14. Coaching centres, IT & language training centres	1	500	500
	15. Dhalao including segregation	1	200	200		15. Dhalao including segregation	1	200	200
	16. Dispensary	1	800-1,200	800-1,200		16. Dispensary	1	800-1,200	800-1,200
	17. Local level waste water treatment facility	1	As per requirement			17. Local level waste water treatment facility	1	As per requirement	
						18. Sewage Treatment Plant (up to 22.7MLD) # (including 50sqm/MLD for Sewage Pumping Station and 50sqm/MLD for Effluent Pumping Station)	As per requirement	650 Sqm/MLD	
Level	Facilities	Area in sq.m.			Level	Facilities	Area in sq.m.		
		No.	Per Unit	Total			No.	Per Unit	Total
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5. Zonal / Sub-City Population 10,00,000	1. Medical College	1	As per Medical Council of India/Regulatory Body		5. Zonal / Sub-City Population 10,00,000	1. Medical College	1	As per Medical Council of India/Regulatory Body	
	8.Sewage Pumping Station	1	2,500	2,500		8.Sewage Pumping Station	1	2,500	2,500
	9. Municipal Office for Water & sewerage	1	500	500		9. Municipal Office for Water & sewerage	1	500	500
	10. Sewerage Treatment Plant (180 MLD)	1	234000	234000		10. Sewerage Treatment Plant (180 MLD)	1	234000	234000
						18. #Sewerage Treatment Plant (above 22.7 MLD)	As per requirement	1100 Sqm/MLD.	

					#(including 50sqm/MLD for Sewage Pumping Station and 50sqm/MLD for Effluent Pumping Station)		
					Notes: # The area norms are for new proposed facilities.		

[F.No. K-12011/6/2021-DD-I]
UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.